न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्र. /2016

डॉ. कर्नल रविन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र श्री डालसिंह भदौरिया, आयु 74 वर्ष, व्यवसाय-- सेवानिवृत्त कर्नल आरमी, निवासी विजय नगर आमखो लश्कर ग्वालियर म.प्र.

--आवेदक

विरुद्ध

सांई बिल्डर्स सूर्या टावर, राजकुमार कुकरेजा पुत्र स्व. श्री एल.सी. कुकरेजा, निवासी डी-14 गोविन्द पुरी सिटी सेन्टर ग्वालियर(म.प्र)

--अनावेदक

पुनर्विलोकन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959

मननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, द्वारा पुनरीक्षण क्रमांक 233-PBR/2016 में पारित आदेश दिनांक 06/12/2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनर्विलोकन निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, अनावेदक द्वारा सर्वे क्रमांक 1485/2 रकबा 0.146 हैक्टयर को विक्रय विलेख दिनांक 24/06/2013 द्वारा क्रय किये जाने के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Rev. 4210–PBR / 16 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–12–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 6–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :– (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी ; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती ; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता हैं । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	